तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
02.09.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलाण्ट्स अनुपस्थित। वकील श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित उप. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट्स सख्या 2 श्री घीसूसिंह की मृत्यु दिनांक 29.12.2019 को हो चुकी है जिसके प्रमाण में श्री घीसूसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली में मौजुद है। ऑडर 22 रूल्स 4 के अनुसार वकील अपीलाण्ट द्वारा घीसूसिंह के विधिक उत्तराधिकारीगण कायम मुकाम वारिसान को पक्षकार बनाने की म्याद 90 दिन की होती है और 90 दिन के पश्चात् अपीलाण्ट्स की अपील स्वतः ही एबेट हो जाती है उस आधार पर अपील अपीलाण्ट्स खारिज हो जाती है इस प्रकरण में भी रेस्पोडेण्ट्स घीसूसिंह की मृत्यु दिनांक 29.12.2019 को हुई है और निर्धारित 90 दिन की अवधि में अपीलाण्ट्स ने रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 घीसूसिंह के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाने हेतु कोई आवेदन नहीं किया है और निर्धारित अवधि मे आवेदन करने मे वह असफल रहे है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली के प्रकरण संख्या 41/2012 अनवान प्रतापसिंह बनाम कलावती निर्णय दिनांक 22.08.2013 के अनुसार अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 04.01.1990 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, देसूरी को रीमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि वे सहायक कलेक्टर, देसूरी के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार बाद जांच व सुनवाई के नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करें। अधिनस्थ न्यायालय देसूरी के आदेशिका दिनांक 22.02.2017 के अनुसार न्यायालय बाली केम्प देसूरी के राजस्व वाद संख्या 253/85 के अनुसार निर्णय दिनांक 20.11.86 की पालना में पटवारी, हल्का नारलाई को रेकर्ड के दर्ज हेतु लिखा गया। इस आदेश की पालना में म्यूटेशन संख्या 2368 दिनांक 17.04.2017 को स्वीकृत किया गया। यह अपील अपीलाण्ट द्वारा म्यूटेशन संख्या 2368 दिनांक 17.04.2017 के विरूद्ध पेश की है लेकिन तहसीलदार, बाली द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली के आदेश की पालना तथा सहायक कलेक्टर, देसूरी के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है। वकील अपीलाण्ट को न्यायालय द्वारा बार बार अवाजे दिलाई गई। न तो अपीलार्थीगण और न ही उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्तागण ने न्यायालय में पैरवी करने हेतू उपस्थित नही दी। अतः अपीलाण्ट्स और अपीलाण्ट्स की ओर से नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित रहने के कारण से अपील अपीलाण्ट्स अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम हों। अति जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली (राज)	